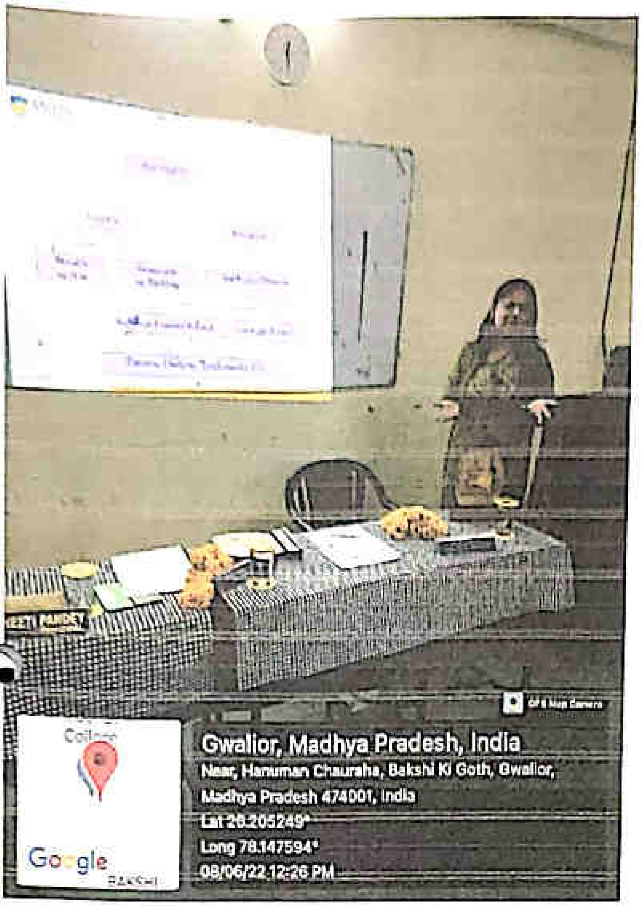

Dr. RAHUL SHARMA
IQAC Coordinator

Principal
Madhav Vidhi Mahavidyalaya
Gwalior (M.P.)

Scanned with OKEN Scanner

Dr. RAHUL
IQAC Co...

Principal
Madhav Vidhi Mahavidyalaya
Gwalior (M.P.)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय में निडरता और तैयारी के साथ पक्षकार का पक्ष रखें

ग्वालियर। न्यायालय में निडरता, तैयारी और उचित तरीके के साथ पक्षकार का पक्ष रखना चाहिए, जिसमें पक्षकार के लिए पूरी मेहनत होनी चाहिए यदि एक परसेंट भी मेहनत में कमी रह गई तो आपने पक्षकार के प्रति इमानदारी से न्याय नहीं किया। यह बात उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रविंद्र दीक्षित ने माधव लॉ कॉलेज में रविवार व्यावसायिक नैतिकता विषय पर आयोजित कार्यशाला में कही। आपने कहा कि समय, अपने पहनने के कपड़े, कोर्ट का नजरिया को ध्यान में रखकर अपने पक्षकार को न्याय दिलाना चाहिए एवं कोर्ट की गरिमा को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। अधिवक्ता ऑफिसर ऑफ दी कोर्ट (न्यायालय का अधिकारी) होता है एवं वहां की गरिमा बनाए रखना और बैंच के साथ उसके संबंध सौहार्द पूर्ण होने चाहिए। कार्यशाला में कॉलेज की प्राचार्य डॉ. नीति पांडे, शिक्षक व छात्र उपस्थित थे।

न्यायालय में निडरता और तैयारी के साथ पक्षकार का पक्ष रखें

ग्वालियर। न्यायालय में निडरता, तैयारी और उचित तरीके के साथ पक्षकार का पक्ष रखना चाहिए, जिसमें पक्षकार के लिए पूरी मेहनत होनी चाहिए यदि एक परसेंट भी मेहनत में कमी रह गई तो आपने पक्षकार के प्रति इमानदारी से न्याय नहीं किया। यह बात उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रविंद्र दीक्षित ने माधव लॉ कॉलेज में रविवार व्यावसायिक नैतिकता विषय पर आयोजित कार्यशाला में कही। आपने कहा कि समय, अपने पहनने के कपड़े, कोर्ट का नजरिया को ध्यान में रखकर अपने पक्षकार को न्याय दिलाना चाहिए एवं कोर्ट की गरिमा को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। अधिवक्ता ऑफिसर ऑफ दी कोर्ट (न्यायालय का अधिकारी) होता है एवं वहां की गरिमा बनाए रखना और बैंच के साथ उसके संबंध सौहार्द पूर्ण होने चाहिए। कार्यशाला में कॉलेज की प्राचार्य डॉ. नीति पांडे, शिक्षक व छात्र उपस्थित थे।

Dr. RAHUL SHARMA
IQAC Coordinator

न्यायालय में निडरता और तैयारी के साथ पक्षकार का पक्ष रखें

ग्वालियर। न्यायालय में निडरता, तैयारी और उचित तरीके के साथ पक्षकार का पक्ष रखना चाहिए, जिसमें पक्षकार के लिए पूरी मेहनत होनी चाहिए यदि एक परसेंट भी मेहनत में कमी रह गई तो आपने पक्षकार के प्रति इमानदारी से न्याय नहीं किया। यह बात उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रविंद्र दीक्षित ने माधव लॉ कॉलेज में रविवार व्यावसायिक नैतिकता विषय पर आयोजित कार्यशाला में कही। आपने कहा कि समय, अपने पहनने के कपड़े, कोर्ट का नजरिया को ध्यान में रखकर अपने पक्षकार को न्याय दिलाना चाहिए एवं कोर्ट की गरिमा को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। अधिवक्ता ऑफिसर ऑफ दी कोर्ट (न्यायालय का अधिकारी) होता है एवं वहां की गरिमा बनाए रखना और बैंच के साथ उसके संबंध सौहार्द पूर्ण होने चाहिए। कार्यशाला में कॉलेज की प्राचार्य डॉ. नीति पांडे, शिक्षक व छात्र उपस्थित थे।

Principal
Madhav Vidhi Mahavidyalaya
Gwalior (M.P.)

Scanned with OKEN Scanner

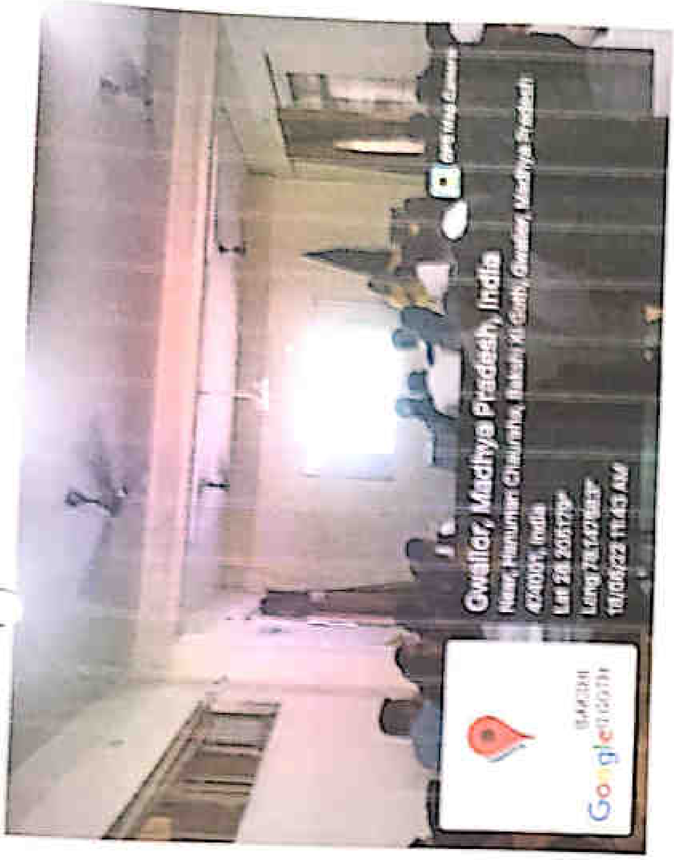

Dr. RAHUL SHARMA
IQAC Coordinator

Principal
Madhav Vidhi Mahavidyalaya
Gwalior (M.P.)

Scanned with OKEN Scanner

Dr. RAHUL SHARMA
IQAC Coordinator

Scanned with OKEN Scanner

Dr. RAHUL SHARMA
IQAC Coordinator

Scanned with OKEN Scanner

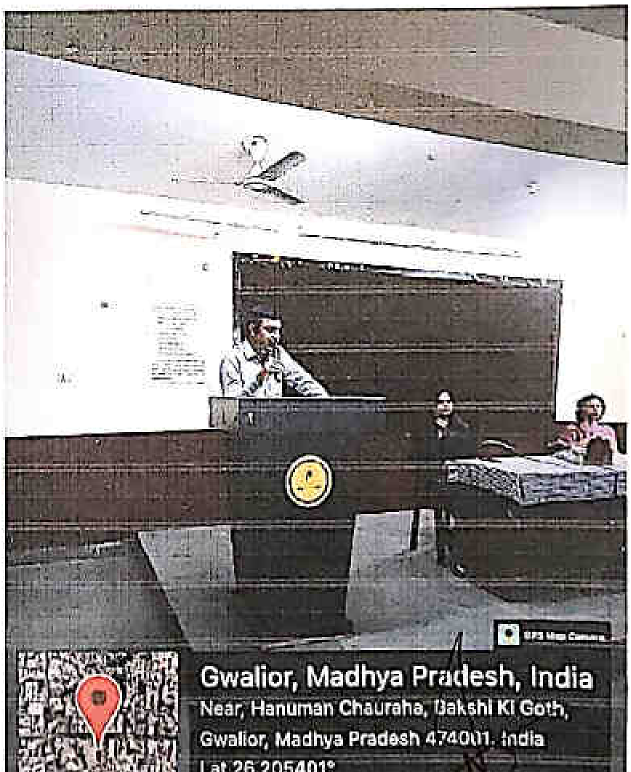

Dr. RAHUL SHARMA
IQAC Coordinator

Madhav Vidhi Mahavidyalaya
Gwalior (M.P.)

Scanned with OKEN Scanner

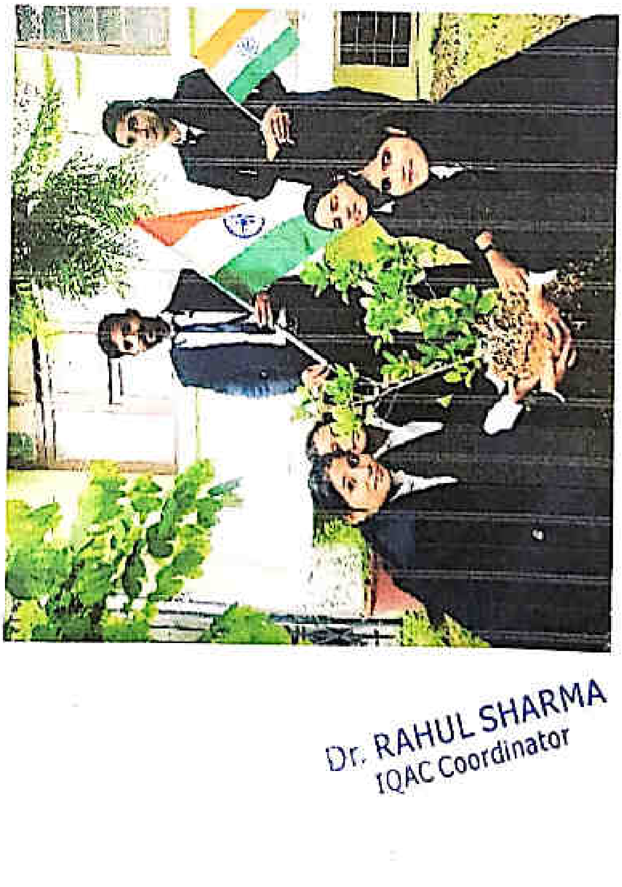

Principal
Madhav Vidhi
Gwalior (M.P.)

Dr. RAHUL SHARMA
IQAC Coordinator

Scanned with OKEN Scanner

Dr. RAHUL SHARMA
IQAC Coordinator

Principal
Madhav Vidhi Mahavidyalaya
Gwalior (M.P.)

Scanned with OKEN Scanner

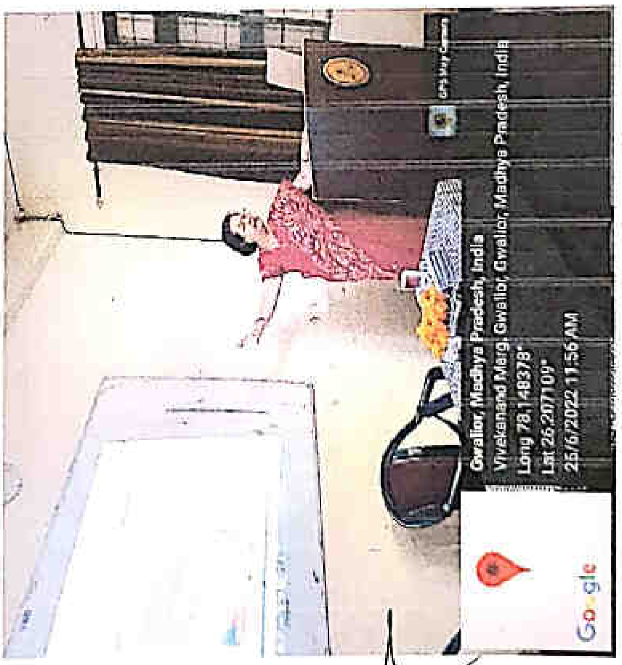

Dr. RAHUL SHARMA
IQAC Coordinator

Principal
Vidhi Mahavidyalaya
Gwalior (M.P.)

Scanned with OKEN Scanner